

हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक (प्रवाह की एक इकाई जो 1 घन फुट प्रतिसेकंड के बराबर है) अधिशेष जल छोड़ने की अनुमति दी तथा हरियाणा सरकार को नरिदेश दिया कि वह [हथनी कुंड बैराज](#) से दिल्ली में इस जल का नरिबाध प्रवाह सुनिश्चित करे, ताकि [पेयजल संकट](#) का समाधान हो सके।

मुख्य बडि:

- न्यायालय ने [ऊपरी यमुना नदी बोर्ड \(UYRB\)](#) को हरियाणा के [हथनी कुंड](#) में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लयि कहा।
- राष्ट्रीय राजधानी में [जल की कमी के बीच दिल्ली सरकार](#) ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से तत्काल अतिरिक्त जल प्राप्त करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
- अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दिल्ली के नागरिकों द्वारा झेली जा रही गंभीर जल कमी के कारण याचिका दायर करने के लयि बाध्य है, जो उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में जारी [भीषण गर्मी](#) के कारण उत्पन्न हुई है।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- दिनांक 12 मई, 1994 को बेसनि राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोग्य सतही प्रवाह के बँटवारे के [समझौता ज्ञापन \(MoU\)](#) पर हस्ताक्षर कयि गए
 - MoU में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) नामक एक बोर्ड के नरिमाण का प्रावधान है।